**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

अपील संख्या 2019/00225 दायरा दिनांक : 18.11.2019
(103/2019)

उनवान

किशनलाल आत्मज रत्तीराम, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– शिवनारायन पुत्र औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
2– लुकीबाई पुत्री औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
3– मोतीलाल पुत्र औकार जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
4– मोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
5– राधेश्याम पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
6– भूलीबाई बेवा नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
7– मांगीलाल पुत्र रत्तीराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
8– कृष्णगोपाल आत्मज लक्ष्मीनारायन जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
9– शान्तिबाई पत्नी आशाराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
10– कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
11– राजूबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
12– विष्णुबाई पत्नी धनरुप जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
13– कल्याणीबाई पत्नी श्रीलाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
14– कन्याबाई पत्नी अमरसिंह जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
15– हेमराज आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
16– रावल आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
17– रम्भाबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
18– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा०, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज०)
.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00224 दायरा दिनांक : 18.11.2019
(102/2019)

उनवान

किशनलाल आत्मज रत्तीराम, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– शिवनारायन पुत्र औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
2– लुकीबाई पुत्री औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
3– मोतीलाल पुत्र औकार जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
4– मोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
5– राधेश्याम पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
6– भूलीबाई बेवा नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंक्लहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
7– मांगीलाल पुत्र रत्तीराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
8– कृष्णगोपाल आत्मज लक्ष्मीनारायन जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
9– शान्तिबाई पत्नी आशाराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
10– कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
11– राजूबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
12– विष्णुबाई पत्नी धनरुप जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
13– कल्याणीबाई पत्नी श्रीलाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
14– कन्याबाई पत्नी अमरसिंह जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
15– हेमराज आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
16– रावल आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
17– रम्भाबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
18– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा०, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज०)

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री एस. के. सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 16.01.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 90/2012 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 02/07/2015 तथा अंतिम डिकी दिनांक 08/06/2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, पटवार हल्का आवंलहेडा के माल की खतौनी सं. 276 की खसरा नम्बरान 94 की 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 की 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 की 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 126 की 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 की

2 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 की 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 155 की 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 की 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 157 की 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 158 की 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 159 की 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 की 6 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 की 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 की 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 387 की 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 666 की 5 बिस्वा कुल 16 किता की 21 बीघा 18 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते दर्ज है एवं ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना के माल की खतौनी संख्या 277 की खसरा नम्बर 372 की 7 बीघा 3 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 02.07.2015 से ग्राम आंवलहेडा की खाता संख्या 276 की 16 किता की 21.18 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नं. 5 के हिस्से की 11/72 भाग तथा इसी ग्राम की खाता संख्या 277 की खसरा नम्बर 372 की 7.03 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नं. 0.5 के हिस्से की 19/72 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार मनोहरथाना राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार नियमानुसार तैयार कर पेश करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय एवं फाईनल डिकी दिनांक 08.06. 2018 के अनुसार ग्राम आंवलहेडा के खाता संख्या 276 की 16 किता की 21.18 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नं. 5 के हिस्से की 11/72 भाग तथा इसी ग्राम की खाता संख्या 277 की खसरा नं. 372 की 7.03 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नं. 5 के हिस्से की 19/72 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। अतः निम्न प्रकार खाते का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

| | खाता सं. | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान | दिशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिवादी नं. 5 किशन लाल पुत्र रत्तीराम, कोम लोधा | 48 | 372 | 1.18 | माल प्रथम | 3.42 | उत्तर |
| — | — | किता–1 | 1.18 | — | 3.42 | — |

| | खाता सं. | खसरा नं. | रकबा | किस्म | लगान | दिशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिवादी नं. 5 किशन लाल पुत्र रत्तीराम, कोम लोधा | 46 | 2.11 | .016 | चाही प्रथम | 4.60 | पश्चिम |
| | | 386 | 0.16 | चाही प्रथम | 4.60 | उत्तर |
| | 280 | 125 | 1.13 | माल प्रथम | 2.97 | सम्पूर्ण |
| | | 666 | 0.02 | खेडा । | 0.22 | उत्तर |
| — | — | किता–4 | 3.12 | — | 12.39 | — |

नोट – खसरा नम्बर 212 रकबा 3 बिस्वा गै. मु. चाह, खसरा नम्बर 386 रकबा 2 बिस्वा गै. मु. चाह, खसरा नम्बर 372 रकबा 2 बिस्वा गै. मु. चाह एवं खसरा नम्बर 158 रकबा 2 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 211 रकबा 1 बिस्वा गै. मु. रास्ता पूर्व की भांति जमाबंदी खाता हि. अनुसार शामलाती खाते में रहेगे कुल किता 5 रकबा 0.10 बीघा जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2019/00225 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने प्रतिदावा रेस्पोडेन्ट न० 1, 2 व 3 के विरुद्ध पेश किया था इस दावे का लोक अदालत में निर्णय किया गया जिसमें अपीलान्ट को हक त्याग में मिले हिस्से को अपीलान्ट के हिस्से में जोडे बिना की बंटवारे की प्रारम्भिक डिकी पारित कर दी – अपीलान्ट को सुने बिना तथा अपीलान्ट को समझाये बिना दिनांक 02/07/2015 को निर्णय एवं प्राथमिक डिकी पारित कर दी इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्यपूर्ण त्रुटी की है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट निम्नलिखित कारणों सहित अपील प्रस्तुत करता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02/07/2015 को निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी पारित की है जिसके बारे में अपीलान्ट को कभी भी पता नहीं लगा अपीलान्ट को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्रारम्भिक डिकी का सर्वप्रथम ज्ञान दिनाक 22/08/2019 को हुआ जबकि रेस्पोन्डेन्ट्स ने अपीलान्ट से कहा कि विवादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के स्वामित्व व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेगें इसके तुरन्त बाद अपीलान्ट ने मालूमात करके दिनांक 22/08/2019 को नकल का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर नकल दिनांक 22/08/2019 को मिली मियाद मुआफी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है– इस प्रकार दिनांक ज्ञान से यह अपील अन्दर मियाद काबिल समाअत अदालत हाजा उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत है नकल निर्णय एवं डिकी संलग्न कर प्रस्तुत है । अपीलान्ट गाँव का व्यक्ति है तथा बिना पढ़ा लिखा है तथा समझता नहीं है– अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस दावे को लोक अदालत में रखने की अपीलान्ट को कभी कोई सूचना प्राप्त ही नहीं हुई तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता ने लोक अदालत में प्रकरण को रखने बाबत नहीं बताया– अपीलान्ट ने किसी भी प्रकार का राजीनामा नहीं किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना तथा अपीलान्टस को समझाये बिना के निर्णय पारित कर दिया इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया – इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है– इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी में मोहनलाल आत्मज रत्तीराम के द्वारा अपना

5/12 हिस्सा अपीलान्ट के हक में रिलिज कर दिया था इस हिस्से को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के हिस्से जोडे बगैर ही निर्णय व डिकी पारित कर दी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जाँच नहीं की इस तथ्य की अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दी– अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी में 19/72 हिस्सा है तथा रिलिज डीड के अपीलान्ट ने 5/72 हिस्सा और प्राप्त कर लिया था इस प्रकार अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी में कुल हिस्सा 24/72 अर्थात 1/3 हिस्सा हो गया था यानि कि अपीलान्ट विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने मे कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है– इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी निरस्त होने योग्य है । अपीलान्ट सहखातेदार है अपीलान्ट विवादग्रस्त आराजी पर अपने 1/3 हिस्से पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार विधिक कब्जा निर्बाध रुप से चला आ रहा है अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त आराजी के बंटवारे की निर्णय एवं डिकी में अपीलान्ट को खाते में दर्ज हिस्से से कम हिस्सा देकर गलती की है–इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्राथमिक डिकी निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय एवं डिकी पारित कर दी जो कि अवैधानिक है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलान्टस को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी कानून तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना का निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 02/07/2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा प्रकरण की अपीलान्ट की उपस्थिति में सुनवाई की जावे तथा अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा दिलाया जावे तथा अपीलान्ट को जवाब व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय एवं डिकी पारित की जावे ।

अपील संख्या 2019/00224 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है लेकिन अपीलान्ट को हक त्याग में मिले हिस्से को अपीलान्ट के हिस्से मे जोडे बिना की बंटवारे की गलत रुप से निर्णय एवं फाईनल डिकी जारी कर दी – इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण त्रुटि की है–जिनके विरुद्ध अपीलान्ट निम्नलिखित कारणों सहित अपील प्रस्तुत करता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08/06/2018 को निर्णय एवं फाईनल डिकी पारित की है जिसके बारे में अपीलान्ट को कभी भी पता नहीं लगा अपीलान्ट को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं फाईनल डिकी का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 22/08/2019 को हुआ जबकि रेस्पोन्डेन्टस ने अपीलान्ट से कहा कि विवादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के हिस्से व कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा कर लेगें इसके तुरन्त बाद अपीलान्ट ने मालूमात करके दिनांक 22/08/2019 को नकल का प्रार्थना प्रत्र दिया जिस पर नकल दिनांक 22/08/2019 को मिली मियाद मुआफी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत है– इस प्रकार दिनांक ज्ञान से यह अपील अन्दर मियाद काबिल समाअत अदालत हाजा उचित कोर्ट फीस प्रस्तुत है नकल निर्णय एवं फाईनल डिकी संलग्न कर प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08/06/2018 को पत्रावली अदालत में पेश हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट से प्रस्ताव बंटवारा पर कोई ऐतराज नहीं मांगे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08/06/2018 को ही बिना किसी आधार के फाईनल डिकी पारित की थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिकी पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश एवं फाईनल डिकी पारित की है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिकी का आदेश पारित करते समय बंटवारे के नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा गया मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया तथा प्रत्येक पक्षकार को आवंटित किये गये भाग का एवं उसी अनुपात में नहीं है जितना कि उसका हिस्सा कृषि जोत में है अपीलान्ट के आराजीयात में अलग अलग कब्जे को भी ध्यान में नहीं रखा गया है तहसीलदार सा० ने स्वयं ने बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया है। अपीलान्ट को वक्त पार्टीशन मौके पर नहीं बुलाया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है– इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। पार्टीशन रिर्पोट के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा प्रत्येक खसरा नम्बर के जो टुकडे किये है– यह बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है पार्टीशन रिर्पोट बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है पटवारी ने मिट्स एवं बाउन्डस के आधार पर बंटवारा नहीं किया है। जिसके आधार पर फाईनल डिकी का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओ की ओर ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी में मोहनलाल आत्मज रत्तीराम के द्वारा अपना 5/72 हिस्सा अपीलान्ट के हक में रिलिज कर दिया था

इस हिस्से को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के हिस्से जोड़े बगैर ही निर्णय व डिकी पारित कर दी अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी मे 19/72 हिस्सा है तथा रिलिज डीड के अपीलान्ट में 5/72 हिस्सा और प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी ने कुल हिस्सा 24/72 अर्थात 1/3 हिस्सा हो गया था– यानि कि अपीलान्ट विवादग्रस्त आंराजी में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था– लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की जाँच नहीं की इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया, जिससे अपीलान्ट के हक हिस्सा प्रभावित होता है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। अपीलान्टस खातेदार है अपीलान्टस का विवादग्रस्त आराजी पर लगातार आज तक बहैसियत खातेदार विधिक कब्जा निर्बाध रुप से चला आ रहा है अधीनस्थ न्यायालय मे विवादग्रस्त आराजी के बंटवारे की निर्णय एवं फाईनल डिकी में अपीलान्ट को सम्पूर्ण हिस्सा नहीं दिया गया इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण करने हेतु अपीलान्ट को नहीं बताया गया अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट की सहमति के तथा बिना अपीलान्ट को समझाये गलत रुप से निस्तारण कर दिया इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी मे 19/72 हिस्सा है तथा रिलिज डीड के अपीलान्ट ने 5/72 हिस्सा और प्राप्त कर लिया था इस प्रकार अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी में कुल हिस्सा 24/72 अर्थात 1/3 हिस्सा हो गया था यानि कि अपीलान्ट विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निर्णय व फाईनल डिकी पारित कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अन्तिम डिकी जारी करने से पूर्व सभी पक्षकारों को समुचित सुनवाई का उचित एवं पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के नियम 18 से 21 की पालना किया जाना मेन्डेटरी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस ही नहीं दिया इसलिये अन्तिम डिकी जारी करने बाबत की गई तमाम कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्ताव बंटवारा बनाने से पूर्व दोनों पक्षों की उपस्थिति हेतु तहसीलदार सा० द्वारा नोटिस दिया जाना चाहिये था तथा पक्षकारों की उपस्थिति में अलग अलग रंग से नक्शों से हिस्सा दर्शाया जाना चाहिये था किन्तु तहसीलदार सा० के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अन्तिम डिक्री जारी कर दी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना फाईनल डिकी बनाने का आदेश पारित कर दिया जो कि अवैधानिक है अपीलान्ट से उज्रात नहीं देखे गये इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिकी पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिकी पारित की उसके अनुसार फाईनल डिकी नहीं बनायी गयी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिकी पारित करने मे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश एवं फाईनल डिकी पारित की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 08/06/2018 को फाईनल डिकी पारित करने के आदेश पारित कर दिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करने का आदेश नहीं दिया गया रेस्पोन्डेन्टस के द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश नहीं किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायलय ने दिनांक 08/06/2018 को ही गलत रूप से फाईनल डिकी पारित कर दी इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बिन्दुओं की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिकी पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमाने तौर पर आदेश एवं फाईनल डिकी पास्ति की है– इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं फाईनल डिकी पारित करने मे कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी कानून तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं फाईनल डिकी पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जावे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना का निर्णय एवं फाईनल डिकी दिनांक 08/06/2018 को निरस्त फरमाया जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे तथा प्रकरण की अपीलान्ट की उपस्थिति में सुनवाई की जावे तथा अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा दिलाया जावे तथा अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का पूर्ण एवं उचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय एवं फाईनल डिकी पारित की जावे।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.08.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर. टी. 2011–12(सप्लीमेंन्ट्री) पेज 698, 2018–19(सप्लीमेंन्ट्री) पेज 394 व आर.आर.टी.2017(1) पेज 446 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानता से अवलोकन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं. 5 के रूप में पक्षकार था रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी का बंटवारा चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.04.2015 के अनुसार वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इसी वाद में अपीलांट प्रतिवादी नं. 5 द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी 16 किता की 21 बीघा 10 बिस्वा ग्राम आवलहेडा तहसील मनोहरथाना के माल की नई खतौनी संख्या 276 में से अपना हिस्सा 11/72 एवं वाद की मद नं. 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 277 की खसरा नम्बर 372 की 7 बीघा 3 बिस्वा में से अपना हिस्सा 19/72 आराजी अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन करवा कर अपने पृथक खाते दर्ज करवाने तथा मौका कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2015 को लोक अदालत ग्राम आवलहेडी में प्रतिवादी नं. 5 का काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुए मुताबिक काउंटर क्लेम वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 276 की 16 किता की 21.18 बीघा आराजी में प्रतिवादी नं. 5 का हिस्से की 11/72 भाग तथा इसी ग्राम की खाता संख्या 277 की खसरा नम्बर 372 की 07.03 बीघा आराजी में से प्रतिवादी नं. 5 के हिस्से की 19/72 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसील मनोहरथाना को राजस्व मण्ड़ल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश जारी करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.07.2015 पर लोक अदालत में उपस्थिति के कम में अपीलांट प्रतिवादी नं. 5 के हस्ताक्षर अंकित होना पाया गया, इससे अपील में अंकित अपीलांट के इस कथन का खण्डन स्वतः ही हो जाता है कि दावे को लोक अदालत में रखने की अपीलांट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी नं. 5 की उपस्थिति में अपीलांट प्रतिवादी नं. 5 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को स्वीकार करते हुए काउंटर क्लेम के अनुसार ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट प्रतिवादी नं. 5 का यह कथन है कि मोहन लाल आत्मज रत्तीराम के द्वारा अपना 5/72 हिस्सा अपीलांट के हक में रिलीज कर दिया था। इस हिस्से के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हिस्से में जोड़े बगैर ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में 19/72 हिस्सा है तथा रिलीज डीड से अपीलांट ने 5/72 हिस्सा और प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कुल हिस्सा 24/72 अर्थात् 1/3 हिस्सा हो गया था। अपीलांट वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था, परन्तु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउंटर क्लेम में इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की है और ना ही काउंटर क्लेम में मोहन लाल आत्मज रत्तीराम द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित रिलीज डीड का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अपीलांट प्रतिवादी नं. 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउंटर क्लेम के मुताबिक अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 02.07.2015 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 की पालना हेतु तहसीलदार मनोहरथाना द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.12.2017 से विवादित आराजी का बंटवारा प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित है इससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन का बंटवारा प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में मुताबिक निर्णय व प्राथमिक डिक्री तैयार किया गया है। तहसीलदार द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयें द्वारा दिनांक 08.06.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.06.2018 पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अंतिम डिक्री भी अपीलांट की उपस्थिति में जारी की गई है। जिस पर अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। अपीलांट का यह कथन है कि मोहन लाल आत्मज रत्तीराम द्वारा अपना 5/72 हिस्सा अपीलांट के हक में रिलीज कर दिया था, इस हिस्से को जोड़े वगैर ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी, परन्तु अपीलांट द्वारा अपने इस कथन की पुष्टि हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउंटर क्लेम भी प्रार्थना के आधार पर पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 की पालना करते हुए अपीलांट की उपस्थिति में तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2018 अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउंटर क्लेम की प्रार्थना के अनुरूप होने के कारण विधि सम्मत है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 103/2019 एवं अपील संख्या 102/2019 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2018 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/01/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# डिकरी व सीगे अपील

**Jud/Civ**
**Part IV-4**

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

**दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

अपील संख्या 2019/00225 (103/19) किशनलाल आत्मज रत्तीराम, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0) ....... अपीलांट

1– शिवनारायन पुत्र औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
2– लुकीबाई पुत्री औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
3– मोतीलाल पुत्र औकार जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
4– मोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
5– राधेश्याम पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथानां, जिला झालावाड (राज०)
6– भूलीबाई बेवा नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
7– मांगीलाल पुत्र रत्तीराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
8– कृष्णगोपाल आत्मज लक्ष्मीनारायन जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
9– शान्तिबाई पत्नी आशाराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
10– कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
11– राजूबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
12– विष्णुबाई पत्नी धनरुप जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
13– कल्याणीबाई पत्नी श्रीलाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
14– कन्याबाई पत्नी अमरसिंह जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
15– हेमराज आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
16– रावल आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
17– रम्भाबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
18– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा०, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड(राज०)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00224 (102/19) किशनलाल आत्मज रत्तीराम, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0) ........ अपीलांट

**बनाम**

1– शिवनारायन पुत्र औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
2– लुकीबाई पुत्री औकार, जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
3– मोतीलाल पुत्र औकार जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
4– मोहनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
5– राधेश्याम पुत्र नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
6– भूलीबाई बेवा नन्दकिशोर जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
7– मांगीलाल पुत्र रत्तीराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
8– कृष्णगोपाल आत्मज लक्ष्मीनारायन जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
9– शान्तिबाई पत्नी आशाराम जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
10– कन्हैयालाल आत्मज रामचन्द्र जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
11– राजूबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
12– विष्णुबाई पत्नी धनरुप जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
13– कल्याणीबाई पत्नी श्रीलाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
14– कन्याबाई पत्नी अमरसिंह जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
15– हेमराज आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
16– रावल आत्मज रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
17– रम्भाबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधा, निवासी ग्राम आंवलहेडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड (राज०)
18– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा०, तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज०)

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2019/00225, 2019/00224** एवं नाराजगी डिक्री अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**
मु.द.नं **90/2012** प्राथमिक डिक्री दिनांक **02.07.2015** एवं फाईनल डिक्री दिनांक **08.06.2018**

## दावा बाबत

**माह अपील व तारीख 05 माह 01 सन् 2024**

हाजरी **श्री एस0के0सक्सैना** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील संख्या 103/2019 एवं अपील संख्या 102/2019 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2018 यथावत रखे जाते हैं।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज **तारीख 16 माह 01 सन् 2024** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)